रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF IND

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 1987/आश्विन 3, 1909
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1987/ASHVINA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 1987

अधिसूचनाएं

सा. का.नि. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) नियम, 1986(1986 का 60) की धारा 1 के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अक्तूबर, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फाईल सं. 9-90/86-डब्ल्यू. डब्ल्यू. (पार्ट)]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women & Child Development)

New Delhi, the 25th September, 1987

NOTIFICATIONS

G.S.R. 821 (E).—Idn exercise of the powers conferred by the Sub-Section (3) of the Section 1 of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (60 of 1986), the Central Government hereby appoints the 2nd Day of October, 1987 as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. 9-90/86-WW (Pt.)]